

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 138 / 2023

दायर दिनांक 15.12.2023

उनवान

1. हजारीलाल आ० रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी तहसील पिडावा

- वादी

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी तहसील पिडावा
2. धापूबाई पुत्री रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी तहसील पिडावा
3. भंवरीबाई बेवा शिवलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषक -

अभिभाषक वादी - श्री मुकेश कुमार बगेरिया

प्रतिवादी सं. 1 से 3 - एकतरफा

प्रतिवादी सं. 4 - परोकार सरकार



निर्णय

दिनांक 08.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम खैराना तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता संख्या 470 की आराजी ख.नं. 621 रकबा 0.7841 हे०, ख.नं. 622 रकबा 1.5302 हे०, कुल किता 2 कुल रकबा 2.3143 हे० के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.09.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए



Ym

उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

5


राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार पिडावा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/909 दिनांक 24.09.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम खैराना तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता संख्या 470 की आराजी ख.नं. 621 रकबा 0.7841 हे०, ख.नं. 622 रकबा 1.5302 हे०, कुल किता 2 कुल रकबा 2.3143 हे० भूमि में तहसीलदार पिडावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख०नं०	रकबा है.	किस्म
1	फूलचन्द पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी	622	1.3500	बारानी सोयम
2	हजारीलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी रहन SBI पिडावा	622/1 621	0.1802 0.7841	बारानी सोयम बारानी सोयम
		किता 2	0.9643	

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


08/10/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज०
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)



(6)

फाईनल डिक्री मुकदमा इत्यादाई
(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 138/2023

दायर दिनांक 15.12.2023

उन्वान

1. हजारीलाल आ० रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी तहसील पिड़ावा

- वादी

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी तहसील पिड़ावा
2. धापूबाई पुत्री रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी तहसील पिड़ावा
3. भंवरीबाई बेवा शिवलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक -

अभिभाषक वादी - श्री मुकेश कुमार बगेरिया

प्रतिवादी सं. 1 से 3 - एकतरफा

प्रतिवादी सं. 4 - परोकार सरकार



मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाबिन मुदालयह
हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम खैराना तहसील पिड़ावा की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता संख्या 470 की आराजी ख.नं. 621 रकबा 0.7841 हे०, ख.नं. 622 रकबा 1.5302 हे०, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.3143 हे० भूमि में तहसीलदार पिड़ावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

✓

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



7

क्र.	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा है.	किस्म
1	फूलचन्द पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी	622	1.3500	बारानी सोयम
2	हजारीलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. ओडियाखेडी रहन SBI पिडावा	622/1 621	0.1802 0.7841	बारानी सोयम बारानी सोयम
		किता 2	0.9643	

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

[Signature]
18/10/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा

जिला झालावाड़ राज0
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

निजX.....मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमे के सूद बशोरह ...
...X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 08.10.2025 को जारी किया गया।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

